न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 37/2023 G.C.M.S. No. 2023/180 दर्ज दिनांक : 26.06.2023

अपीलार्थी:

1. शांतिलाल पुत्र बद्रीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी कुड़की, हाल निवासी जलगांव, महाराष्ट्र।
2. जगदीश पुत्र रतनलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी कुड़की, हाल निवासी जलगांव, महाराष्ट्र।
3. सुभाष पुत्र सोनाराम, जाति ब्राह्मण, निवासी कुड़की, हाल निवासी हैदराबाद।
4. गौरीशंकर पुत्र लक्खीचंद, जाति ब्राह्मण, निवासी कुड़की, हाल निवासी हैदराबाद।
5. अनिल पुत्र रामकिशन, जाति ब्राह्मण, निवासी कुड़की, हाल निवासी हैदराबाद।
6. मीरादेवी पुत्री बद्रीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी कुड़की, हाल निवासी हैदराबाद।
7. श्याम पुत्र पन्ना उर्फ वदना, जाति ब्राह्मण, निवासी कुड़की, हाल निवासी हैदराबाद।
8. प्रदीप पुत्र पन्ना उर्फ वदना, जाति ब्राह्मण, निवासी कुड़की, हाल निवासी हैदराबाद।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मुन्नाराम पुत्र बाबूलाल
2. आशा पुत्री रमेश
3. चन्द्रकांता पुत्री बद्रीलाल
4. सीमा पुत्री रमेश
5. रवि पुत्र रमेश
6. सुनिल पुत्र पन्ना उर्फ वदना, जाति ब्राह्मण, निवासी कुड़की, हाल निवासी हैदराबाद।
7. तहसीलदार जैतारण।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 162/2022 बअनवान शांतिलाल बनाम मुन्नाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2023 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी, श्री इमरान खान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री शंकरलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांकः 26.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 162/2022 बअनवान शांतिलाल वगैरह बनाम मुन्नाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2023 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि खसरा नम्बर 142 रकबा 2.4398 खसरा नम्बर 113 रकबा 0.8498, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.0081 कुल रकबा 3.4398 हैक्टेयर की भूमि यानि 21 बीघा 5 बिस्वा भूमि सहखातेदार वदना पुत्र धन्ना, बद्रीलाल पुत्र उदयराज, बाबु पुत्र पन्ना, रतनलाल पुत्र उदयराज, सुखदेव पुत्र शिवदास की खातेदारी की स्थित रही हैं तथा अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट इनके वारिसान है तथा सजरा भी वाद में वारिसों का पेश किया तथा अपीलाण्ट वादीगण द्वारा बंटवाड़ा करवाने हेतु अनुतोष अधिनस्थ न्यायालय में चाहा। रेस्पोंडेण्ट प्रतिवादीगण द्वारा अपनी ओर से जवाब दावा पेश किया गया व वाद के तथ्यों को स्वीकार किया गया, साक्ष्य हेतु शपथ पत्र अपीलाण्ट की ओर से पेश किया गया। इकबालिया जवाब पेश होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर वाद वादी अपीलाण्ट का खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि वाद में वर्णित खसरान की कृषि भूमि के खातेदार वदना पुत्र धन्ना, ब्रदीलाल पुत्र उदयराज, बाबुलाल पुत्र पन्ना, रतनलाल पुत्र उदयराज, सुखदेव पुत्र शिवदास, जाति ब्राह्मण, खातेदार रहे हैं। इनकी मृत्यु हो चुकी हैं तथा वादीगण द्वारा वाद में सजरा पेश किया गया है तथा खातेदारों की मृत्यु होने बाबत भी कथन किया गया है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सजरे के अनुसार अपीलाण्ट संख्या 1 तथा अपीलाण्ट संख्या 6 बद्रीलाल के पुत्र व पुत्रियां है तथा अपीलाण्ट संख्या 5 बद्रीलाल का दोहिता तथा तारादेवी का पुत्र है तथा अपीलाण्ट संख्या 2 रतनलाल का पुत्र है तथा अपीलाण्ट संख्या 3 सोनूराम का पुत्र है तथा अपीलाण्ट संख्या 4 सोनूराम के पुत्र लक्खीचंद का पुत्र है तथा अपीलाण्ट संख्या 7व 8 पन्ना उर्फ वदना का पुत्र है। इसी तरीके से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 बाबुलाल का पुत्र है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 4, 5 पन्ना के पुत्र रमेश की पुत्रीया है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 3 बद्रीलाल की पुत्री है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 6 पन्ना उर्फ वदना का पुत्र है यानि की उक्त तमाम अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट मृतक सहखातेदारों के पुत्र व पुत्रियां है, चूंकि सह खातेदार की मृत्यु हो चुकी हैं। इस कारण वाद अपीलाण्ट द्वारा पेश किया गया तथा उक्त अपीलाण्ट ही वाद पेश करने हेतु सक्षम है व इन्हीं का कब्जा व उपयोग व उपभोग है। इस कारण से अपीलाण्ट का नाम खातेदारी में नहीं होने

Scanned with OKEN Scanner

के कारण वाद जो खारिज किया गया, वह विधिनुसार नहीं हैं। अपीलाण्ट रेकर्डेड खातेदार के वारिस है, इस कारण से वाद करने का अधिकार था व वाद खारिज किया गया, जो विधिनुसार नहीं हैं तथा अपीलाण्ट द्वारा अपनी भूमि का विभाजन ही चाहा गया था, इस कारण से इनका नाम रेकर्ड में दर्ज कर बंटवाड़ा किया जाना कानूनन था तथा अपीलाण्ट द्वारा अपना शपथ पत्र भी पेश किया गया, इसके अनुसार वाद डिक्री किया जाना चाहिए था। रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपने जवाब दावा बतौर प्रतिवादी अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया तथा अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट की सामलाती भूमि होना स्वीकार किया, इसके खण्डन में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं थीं तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य भी अपीलाण्ट के विरूद्ध रेकर्ड पर नहीं आयी, जब रिबटल की साक्ष्य पत्रावली पर नहीं थीं तो वाद डिक्री किया जाना चाहिए था व भूमि का बंटवाड़ा किया जाना चाहिए था। इसके साथ ही तहसीलदार द्वारा अपना जवाब पेश कर अपीलाण्ट के हक, हकूक का इन्कार नहीं किया है तथा उनकी मौन स्वीकृति अपीलाण्ट के हक, हकूक को स्वीकार करने की थीं। जब पत्रावली पर रिबटल साक्ष्य नहीं थीं तथा वाद व शपथ पत्र के अनुसार रेकर्डेड खातेदार की मृत्यु हो चुकी थीं, तो अपीलाण्ट के पक्ष में बंटवाड़ें की डिक्री पारित की जानी चाहिए थी, तथा जमाबन्दी में दुरूस्त की कार्यवाही भी अमल में लाये जाने का न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था, परन्तु इस पर गौर नहीं किया गया तथा मृतक व्यक्तियों के खाते में नाम होने के कारण व अपीलाण्ट वादीगण का नाम रेकर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण वाद खारिज किया गया, जो विधि एवं तथ्यों की भूल है तथा अपीलाण्ट उत्तराधिकारी नहीं हों, ऐसी स्थिति भी रेकर्ड पर नहीं आयी हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों की पालना नहीं करते हुए उक्त विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की हैं। जो कि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2023 द्वारा वादपत्र खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत की तथा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने व नकल आदि प्राप्त करने में विलंब हुआ। जो सद्भाविक है। अपीलांट्स मैरिट पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हैं। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा विलंब अपीलांट्स की लापरवाही व उदासीनता से नहीं हुआ है एवं प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं कर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादीगण द्वारा सभी सहखातेदारान को आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं करने तथा वादपत्र बंटवाड़ें से संबंधित होने के कारण खारिज किया गया। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में निवेदन किया गया कि रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र में इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया। वादग्रस्त आराजी के खातेदार बदना, बद्रीलाल, बाबुलाल, रतनलाल, सुखदेव फौत हो चुके हैं तथा वादीगण द्वारा वाद में सजरा पेश किया गया है तथा खातेदारों की मृत्यु होने बाबत कथन भी किया गया है तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट उक्त खातेदारान के वारिसान है। मृतक खातेदारान के नामांतरण की कार्यवाही नहीं होने के आधार पर विभाजन का वादपत्र खारिज नहीं किया जा सकता। उक्त त्रुटि सद्भाविक थीं। अपीलांट्स द्वारा अपील के जरिये रेकर्ड दुरूस्ती कर अपीलांट वादीगण के नाम रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनुतोष की मांग की गई हैं। अतः अपील स्वीकार कर वाद में संशोधन किया जावें तथा दुरूस्ती की घोषणा बाबत संशोधन की स्वीकृति जारी कर वाद में अपीलांट आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी का अनुतोष संशोधन के जरिये स्वीकार किये जाने हेतु पत्रावली पुनः प्रेषित की जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 6 ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट का समर्थन किया है।

5. हमारे विनम्र मत में यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त आराजीयात अविभाजित सहखातेदारी भूमि है तथा मूल अभिलिखित खातेदार फौत हो चुके हैं। जिनके नामांतरण की कार्यवाही नहीं होने से भू–अभिलेख अद्यतन नहीं हैं तथा वादीगण द्वारा नामांतरण आदि की कार्यवाही किए बिना एवं मृतक खातेदारान के वारिसान को बतौर कायम मुकाम पक्षकार संयोजित नहीं कर स्वतंत्र रूप से पक्षकार संयोजित किया गया है एवं उक्त पक्षकार एवं भू–अभिलेख में दर्ज सहखातेदारान के नाम में भिन्नता होने के आधार पर अधीनस्थ

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा वादपत्र खारिज किया गया है। चूंकि नामांतरण की कार्यवाही शेष होने मात्र के आधार पर विभाजन का वादपत्र खारिज किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। साथ ही अपील के स्तर पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा वादपत्र में रेकर्ड दुरूस्ती की घोषणा बाबत अनुतोष शामिल करवाने के लिए आदेश 6 नियम 17 का अनुतोष की मांग करना विधिसम्मत नहीं हैं। अपीलांट पक्षकारान चाहे तो अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वांछित अनुतोष हेतु चाराजोही कर सकता है। अतः अपील अपीलांट इस सीमा तक स्वीकार किया जाना तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत होगा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात के मृत सहखातेदारान के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने एवं इसी अनुरूप वादपत्र में शुद्धि हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही किए जाने का अवसर देते हुए प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करें।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 162/2022 बअनवान शांतिलाल वगैरह बनाम मुन्नाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2023 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात के मृत सहखातेदारान के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने एवं इसी अनुरूप वादपत्र में शुद्धि हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही किए जाने का अवसर देते हुए प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 27.10.2025 को असालतन/वकालतन सहायक कलक्टर जैतारण में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **26.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner